[19 August. 2003]

RAJYA SABHA

it with current year's production. If the current year's production is less than the average threshold limit, only then farmers get compensation. Secondly, groundnut was in medium-risk list in 1999, but later it included in high-risk list, and compensation was reduced to 60 per cent from 80 per cent, premium was increased to 3.5 per cent and subsidy given by the Government to farmers was reduced to 30 per cent from 50 per cent. This is only an iota of the problems. So, I request the Government of India to rationalise the NAIS and take a village as a unit. While calculating for payment of compensation, the Government of India must take two years average crop rather than five years to decide the threshold limit. I also request that the activities of the AIO should be extended to Mandal level for effective implementation of the scheme. Thank you, Madam.

GOVERNMENT BILLS

The Sixth Schedule to the

Constitution (Amendment) Bill, 2003

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 2003.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द)ः माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से संविधान की छठी अनुसुची (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदया, यह विधेयक मूलतः बोडो जनजातियों के लिए स्वायत्तशासी परिषद के गठन के लिए लाया गया है। यह विधेयक 9 मई, 2003 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। बाद में इसे स्थाई समिति के पास भेज दिया गया। स्थई समिति ने इसे 22 जुलाई, 2003 को सदन के पटल पर रखा, राज्य सभा में भी उसी दिन रखा गया और 6 अगस्त 2003 को लोक सभा ने इसे पारित किया है।

महोदया, मैं विनम्रता पुर्वक निवेदन करन चाहूंगा कि इसके पहले भी कई बार मैं इस सदन में इस उम्मीद से आया था कि इस विधेयक पर चर्चा होगी और इसे परित किया जायेगा। क्योंकि 15 अगस्त के दिन बोडो चाहते थे कि इसके पहले ही यह स्वायत्तशासी परिषद् गठित हो। इस पर वे अपने यहां 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर आनंद मना सकें, खुशी मना सकें। लेकिन सदन की स्थिति ऐसी थी कि यह संभव नहीं हो पाया।

205

[19 August 2003]

RAJYA SABHA

महोदया, सन 1993 में एख आटोनामस काउंसिल बोडोज के लिए गाठित की गई थई, लेकिन दस साल तक वह प्रभवी नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कुछ खामियां थई उन खामियों के कारण जब वह प्रभावी नहीं हो पाई तब यह आवश्यक समझ गया कि इसमें संशोधन किए जाए । जिन लोगों के बीच में समझौता 1993 में हुआ था उसमें बोडो लिबरेशन टाइगर्स के लोग शामित नहीं थे बल्कि बोडो नेशनल डेमोक्रेटिक फंट ऑफ बोडो लैंड, असम सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में वह समझौता हुआ था और उसी के आधार पर परिषद गठित हुई थई। यहां तक कि दस वर्ष में परिषद का चूनाव भी नहीं हो पाया, परिषद के लिए जो धन आवंटित होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि बोडो समस्या का हल नहीं हुआ और बोडो जनजातियों में आक्रोश उभरने लगा। इस आक्रोश का परिणाम यह हुआ कि कूछ और भी संगठन खड़े हो गये. जैसे- बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स वगैरह 1 फरवरी, 2003 में माननीय प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप से एक बार फिर समझौता हआ और उस समझौता में असम सरकार, बोडो लैंड लिबरेशन टाइगर्स के लोग और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने एक समझौता किया। उस समझौते को लागू करने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है। महोदया, इस पर लोक सभा में चर्चा हो चुकी है और स्टैंडिंग कमेटी में भी विस्तार से चर्चा हो चूकी है। इसमें वही सब प्रावधान किए गए हैं जो समझौते में लाए गए थे। मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातिय लोगों को उनके अधिकार दिलाने की दृष्टि से जो भी कदन उठाए जा रहे हैं, उनमें कहीं कोई कमी न रह जाए और उनको हम पुरी तहर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए राजी कर सकें, इसके लिए यह विधेयक लाया गया है। महोदया, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर चुंकि लोक सभा में भी और स्थायी समिति में भी चर्चा हो चुकी है और एक समझौते के आधार पर यह वधेयक लाया गया है। इसमें हम समझौते की भावनाओं से बाहर जा भी नहीं सकते हैं समझौते में जिन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, उन्ही बिन्दुओं को सामने रखकर हम इस विधेयक को लाए हैं। क्योंकि लोक सभा में यह पारित हो चुका है इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि यहां भी इसको यथासंभव कम से कम चर्चा में पारित किया जाए तो अच्छा होगा।

The question was proposed

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have a few names before me. First Smt. Vanga Geetha—not present; Shri Drupad Borgohain—not present; Shri Urkhao Gwra Brahma—not present; Shri A.K. Sarma, would you like to speak? If the House so agrees, we can passes this Bill without discussion.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Question is:

206

[19 August, 2003]

"That the Bill futher to amend the Constitution of India in its application to the State of Assam, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI SWAMI CHINMAYANAND: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

The Constitution (Ninety-fourth Amendment) Bill, 2002

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Madam, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have some names before me who wish to speak, Shri Ravula Chandra Sekar Reddy, Mr. Rama Shanker Kaushik, Shri Gandhi Azad, Shri Birabhadra Singh ... (Interruptions)...

SOME HON. MEMBERS: Madam, we can pass it without any discussion.

THE DUPUTY CHAIRMAN: But, my duty is to find out whether the Members whose names have been given would like to speak. If they are not speaking, fine. It does not matter to me. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The House divided

THE DEPUTY CHAIRMAN : Subject to correction :

Ayes: 167

Noes: Nil

207